वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 229

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-28.06.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, क्षेत्राधिकारी बूढनपुर अजय प्रताप सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 28.06.2025 को ***थाना अतरौलिया की पुलिस टीम द्वारा चोरी की कुल 11 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए अन्तर्राज्जीय/अन्तर्जनपदीय 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी गये आभूषण (कीमत लगभग 3.5 लाख रूपयें) व 1,85,500/- रुपये नकद बरामद*** किया गया।

थाना अतरौलिया

चोरी की कुल 11 घटनाओं का सफल अनावरण, चोरी गये आभूषण व नकदी (कीमत लगभग 05 लाख रूपयें) के साथ अन्तर्राज्जीय/अन्तर्जनपदीय 05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

➡दिनांक 24/25.06.2025 को वादी आनन्द प्रताप सिंह पुत्र स्व0 वीरेन्द्र सिंह निवासी खानपुर रन्ना (टण्डवा) थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना अतरौलिया पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर का जंगला तोड़कर घर के अन्दर घुसकर घर में रखे अलमारी व बक्सा का ताला तोड़कर उसमें रखे करीब 01 लाख रुपया अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिया गया है। जिसके आधार पर थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0- 215/2025 धारा 331(4), 305(a) BNS बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

➡दिनांक 24/25.06.2025 को वादी सत्यदेव यादव S/O रामसुमेर यादव ग्रा0 गनपतपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के द्वारा थाना अतरौलिया पर तहरीर दिया कि रात मे अज्ञात चोरो द्वारा वादी के मकान के पीछे के दरवाजे का ताला तोडकर घर में घुस कर और बक्से का ताला तोड़कर उसमें रखा हुआ जेवरात तथा नकद 50,000 रु चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया तथा गाँव के पडोसी उदयभान यादव पुत्र सभानन्द यादव के मकान का ताला तोडकर घर के पिछले हिस्से से जीना के रास्ते से घुसकर बक्से में रखा जेवरात तथा 20000 रु नकद एवं उदयभान यादव के बक्से का ताला तोड़कर उसमें रखे जेवरात अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया तथा मेरे ही गाँव के निवासी जयप्रकाश सिंह S/O विन्ध्याचल सिंह के घर में भी घर के पीछे से नीम के पेड़ के सहारे छत पर चढ़कर अज्ञात चोर द्वारा जीने का दरवाजा तोडकर घर में घुसकर घर के तीन कमरों में आलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखा हुआ जेवरात तथा 10000 रु नकद अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 216/2025 धारा 331(4), 305(a) BNS बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया है।

➡दिनांक 17.06.2025 को वादी श्री प्रकाश सिंह S/O उमाशंकर सिंह ग्रा0 व पो0 भीलमपुर छपरा जिला आजमगढ़ द्वारा थाना अतरौलिया पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की पत्नी के गले से बहिरादेव मन्दिर में दर्शन करने के दौरान चोरी कर लिया गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 208/2025 धारा 303(2) BNS बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

➡दिनांक 17.06.2025 को वादी श्री राम शब्द मिश्र पुत्र स्व0 कामता मिश्र निवासी भेलाडाड़ थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ मो0नं0 9532585909 द्वारा थाना अतरौलिया पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 01/02/04/25 की रात्रि में अज्ञात चोरो द्वारा घर की खिड़की की ग्रिल को तोड़कर घर में रखे आलमारी से कुछ रूपया नकद व जेवरात अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिया गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 0108/2025 धारा धारा 331(4),305(a) BNS बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया है।

➡शेष मुकदमों का अनावरण किया गया है, ***जिसका सम्बन्ध जनपद अम्बेडकरनगर के थाना राजेसुल्तानपुर के 02 मुकदमें, थाना जहांगीरगंज के 02, थाना कटका के 02 मुकदमें से सम्बन्धित*** है।

➡**इस प्रकार जनपद आजमगढ़ के थाना अतरौलिया के 04 मुकदमें, थाना पवई का 01 मुकदमा तथा जनपद अम्बेडकर नगर के कुल 06 मुकदमों का, इस प्रकार कुल 11 चोरी के मुकदमों का अनावरण किया गया हैं।**

गिरफ्तारी का विवरण -

आज दिनांक- 28.06.2025 को थानाध्यक्ष अतरौलिया अमित कुमार मिश्रा मय हमराह को सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति ग्राम कनैला स्थित गेरुवा बाबा मन्दिर के पास मौजूद है, जिनके पास चोरी के सामान है। इस सूचना पर विश्वास कर सभी पुलिस वाले मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंच कर मुखबिर के निशानदेही पर गेरुवा बाबा मन्दिर के पास से अभियुक्त 1. गुड्डू पुत्र परिखन निवासी देवाकलपुर थाना चन्दौली जनपद चन्दौली उम्र करीब 42 वर्ष 2. प्रकाश नट पुत्र परिखन देवाकलपुर थाना चन्दौली जनपद चन्दौली उम्र करीब 28 वर्ष 3. साहब नट पुत्र उपेन्द्र निवासी पचदेवरा थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली उम्र 22 वर्ष 4. मलाई नट पुत्र सन्तलाल निवासी रकिपान थाना अमझोर जनपद रोहतास बिहार उम्र 22 वर्ष 5.परिखन नट पुत्र स्व0 जवाहिर निवासी देवाकलपुर थाना चन्दौली जनपद चन्दौली उम्र करीब 65 वर्ष को पकड़ लिया गया। अभियुक्त गुड्डू उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा .12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .125 बोर पारदर्शी डिब्बा मे सील सर्वमुहर मय नमूना मुहर व सभी अभियुक्तगण के पास से 07 जोडी पायल सफेद धातु,06 जोडी मीना सफेद धातु,03 अदद पायजेब सफेद धातु,01 अदद कमर करधन सफेद धातु,एक अदद टप्स पीली धातु,02 अदद अंगूठी पीली धातु,03 अदद नाक की कील पीली धातु,01 अदद चैन का टुकडा पीली धातु,01 अदद लाकेट पीली धातु,01 अदद मांगटीका पीली धातु,01 अदद मंगलसूत्र पीली धातु व कुल 1,85,500/- रूपये नकद बरामद हुआ।

➡ आज दिनांक 28.06.2025 को बरामदगी/ गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 219/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम गुड्डू पुत्र परिखन निवासी देवाकलपुर थाना चन्दौली जनपद चन्दौली के पंजीकृत किया गया है।

अपराध का तरीका/पूछताछ का विवरणः-

➡ गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि **हम लोग मिलकर घरों में चोरी करते है और किसी सुनसान / बागीचे देखकर वहां मांगने खाने के बहाने प्लास्टिक की पन्नी लगाकर ठहर कर वहां पर खाते बनाते है व दिन में गांव- गांव में घूम फिरकर भीख मांगने के बहाने जिस घर में चोरी करना होता है, उसकी पूरी जानकारी कर लेते है, जानकारी करने का मुख्य काम परिखन दादा का होता है।** पूछताछ करने पर बताये कि दिनांक 24/25.06.25 की रात्रि में हम लोग ग्राम खानपुर रन्ना (टंडवा) के एक मकान व ग्राम गनपतपुर में तीन मकान में पेड़ व दीवाल के सहारे छत पर चढ़कर छत का दरवाजा तोड़ते व खोलते हुये घर में घुसे व कमरे मे रखे आलमारी व बक्शे का ताला तोड़कर उसमे रखे कुछ नकद रुपये व सोने चांदी के जेवरात को चोरी किये थे जिसको हम लोगो ने आपस मे मिले जेवरात व पैसे को बांट लिये थे तथा दो व्यक्ति जो गाजीपुर व चन्दौली के रहने वाले है जिनका नाम व पता हम लोग नही जानते है वो लोग घटना के दिन शाम को फेरी लगाते हुए मिले थे जिन्हे दिनांक 24/25.06.25 की रात्रि मे ग्राम गनपतपुर व खानपुर टण्डवा मे को चोरी की घटना को सभी लोग मिलकर कारित किये थे वो लोग अपने हिस्से का पैसा व शेष जेवरात लेकर चले गये है। पकडे गये व्यक्तियों से और कड़ाई से व मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गयी तो बताये कि करीब तीन महिने पहले हम पांचो लोग ग्राम भेलाडाड़ के पास अपना डेरा डाले थे वहीं पर स्थित दो मकान में घुसकर आलमारी / बक्शा के ताला को तोड़कर चोरी किये थे जिसमें कुछ रुपया व थोड़ा जेवर मिला था जेवरात को राह चलते फेरी वाले को बेच दिये थे तथा जो पैसा मिला हम लोग आपस मे बांट लिये थे। दिनांक 17.06.2025 को बाबा बहिरादेव मन्दिर में दर्शन करने आयी एक महिला के गले से साहब नट पुत्र उपेन्द्र निवासी पचदेवरा थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली ने एक सोने की चैन चोरी कर ली थी जिसे बेचकर रुपयो को साहब नट अपने पास रखकर खर्च कर रहा था। इसी प्रकार करीब चार महिने पहले हम पांचो लोग थाना पवई क्षेत्र के पास डेरा डाले थे और ग्राम मरहट में एक मकान में छत के रास्ते घर में घुसकर घर में रखे आलमारी / बक्शा का ताला तोड़कर कुछ गहने व कुछ नकद रुपये चोरी किये थे जिसे हम लोग आपस में बांट लिये थे पकड़े गये पांचो व्यक्तियो से पुनः कड़ाई से पूछताछ किया तो बताये कि साहब करीब एक महिने पहले जनपद अंबेडकरनगर के थाना राजेसुल्तानपुर क्षेत्र के पास ग्राम सिकरौरा में दो घरों में छत के रास्ते घर में घुसकर घर में रखे आलमारी / बक्शा का ताला तोड़कर कुछ गहने व कुछ नकद रुपये चोरी किये थे जिसे हम लोग आपस में बांट लिये थे व एक माह पूर्व ही जनपद अंबेडकरनगर के जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के गिरैया बाजार के पास एक गांव में दो घरो में हम लोग छत के रास्ते घर में घुसकर आलमारी व बक्शा का ताला तोड़कर कुछ गहने व कुछ नकद रुपये चोरी किये थे जिसे हम लोग आपस में बांट लिये थे कुछ गहने राहगीर फेरी वाले को बेच दिये थे जो पैसे बेचने से मिले थे खर्च के बाद जो पैसे व कुछ गहने हम लोगो के पास बचे हैं। इसी प्रकार करीब एक माह के आस पास जनपद अंबेडकरनगर के कटका थाना क्षेत्र के ग्राम मसौडा में एक्सप्रेस वे से सटे हुये एक मकान में खिड़की तोडकर घर में घुसकर आलमारी का ताला तोड़कर कुछ गहने चोरी किये थे जिसे हम लोग आपस में बांट लिये थे तथा गहनो को राहगीर फेरी वाले को बेच दिये थे जो पैसे बेचने से मिले थे खर्च के बाद जो पैसे हम लोगो के पास बचे हैं। उसी रात उसी गांव के पास वाले गांव परवतपुर में एक्सप्रेस वे से सटे हुये एक मकान में खिड़की तोडकर घर में घुसकर आलमारी का ताला तोड़कर कुछ गहने व कुछ नकद रुपये चोरी किये थे जिसे हम लोग आपस में बांट लिये थे कुछ गहने राहगीर फेरी वाले को बेच दिये थे जिसे आप लोगो ने बरामद कर लिये है।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान-

दिनांक- 28.06.2025, समय- 04.25 सुबह, स्थान- गेरूआ बाबा मन्दिर के पास से

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 0219/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0215/25 धारा 331(4), 305(a) बीएनएस थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 0216/25 धारा 331(4), 305(a) बीएनएस थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 0108/25 धारा 331(4),305(a) बीएनएस थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 0208/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 -68/25 धारा – 305/331(4) बीएनएस थाना पवई जनपद आजमगढ
6. मु0अ0सं0 -106/25 धारा -331(4)/305 बीएनएस थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर
7. मु0अ0सं0 -108/25 धारा -331(4)/305 बीएनएस थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर
8. मु0अ0सं0- 154/25 धारा -305/331(4) बीएनएस थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकर नगर
9. मु0अ0सं0 155/25 धारा -305/331(4) बीएनएस थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकर नगर
10. मु0अ0सं0 -97/25 धारा –331(4)/305 बीएनएस थाना कटका जनपद अम्बेडकर नगर
11. मु0अ0सं0 98/25 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना कटका जनपद अम्बेडकर नगर

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. गुड्डू पुत्र परिखन निवासी देवाकलपुर थाना चन्दौली जनपद चन्दौली उम करीब 42 वर्ष
2. प्रकाश नट पुत्र परिखन देवाकलपुर थाना चन्दौली जनपद चन्दौली उम करीब 28 वर्ष
3. साहब नट पुत्र उपेन्द्र निवासी पचदेवरा थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली उम्र 22 वर्ष
4. मलाई नट पुत्र सन्तलाल निवासी रकिपान थाना अमझोर जनपद रोहतास बिहार उम्र 22 वर्ष
5. परिखन नट पुत्र स्व0 जवाहिर निवासी देवाकलपुर थाना चन्दौली जनपद चन्दौली उम करीब 65 वर्ष

बरामदगीः- (कीमत लगभग 3.5 लाख रूपयें)

1. 01 अदद देशी तमंचा .12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .12 बोर
2. 07 जोडी पायल सफेद धातु
3. 06 जोडी मीना सफेद धातु
4. 03 अदद पायजेब सफेद धातु
5. 01 अदद कमर करधन सफेद धातु
6. 01 अदद टप्स पीली धातु
7. 02 अदद अंगूठी पीली धातु
8. 03 अदद नाक की कील पीली धातु
9. 01 अदद चैन का टुकडा पीली धातु
10. 01 अदद लाकेट पीली धातु
11. 01 अदद मांगटीका पीली धातु
12. 01 अदद मंगलसूत्र पीली धातु
13. कुल 1,85,500/- रूपये नकद

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
3. उ0नि0 जफर अयूब थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
4. उ0नि0 विनय यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
5. उ0नि0 अभिषेक यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
6. हे0का0 मनीष कुमार सिंह, थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
7. हे0का0 मनोज कुमार, थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
8. हे0का0 सन्त कुमार, थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
9. हे0का0 गोविन्द मौर्या, थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
10. का0 रिजवान थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
11. का0 शिवकुमार चौधरी, थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
12. का सोनू यादव, थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
13. का0 चन्द्रभूषण उपाध्याय, थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़, 14.का0 अरुण कुमार सिंह, थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

आजमगढ़ पुलिस